अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2022(GCMS 2022/72) (आरटीआई नं. 212105855809637) श्री रामचन्द्र पुत्र लालाराम गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थीः

> रामचन्द्र पुत्र लालाराम द्वारा गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के जोहड़ पाईतन पर अवैध कब्जा कर रखा है या नहीं गांव के लोगों द्वारा रामचन्द्र को कोई जोहड़ पाईतन पर अवैध रूप से काबिज होने की शिकायत दर्ज की गई है या नही हल्का पटवारी व भू.अ. रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक रीडर/ 791–792 दिनांक 06.04.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार खोजकर खोजे हुए तथ्यों के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
>
> -sd-
> तहसीलदार(राजस्व)
> रायसिंहनगर

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना ल[illegible]ही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार(राजस्व), रायसिंहनगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested